झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–540/2017– .... /राँची, दिनांक ....

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से औपचारिक रूप से परामर्शित

प्रेषक,

ई० राजेन्द्र प्रसाद
सरकार के उप सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :– **तेनुघाट बाँध (डैम) के उपरी सड़क के पुनर्स्थापन कार्य हेतु रू॰ 2,77,88,000.00 (रूपये दो करोड़ सतहत्तर लाख अठासी हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

आदेश–स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग के प्रक्षेत्राधीन बोकारो जिलान्तर्गत, तेनुघाट अनुमंडल मुख्यालय के पास दामोदर नदी पर निर्मित तेनुघाट जलाशय योजना के तेनुघाट बाँध (डैम) के उपरी सड़क के पुनर्स्थापन कार्य हेतु रू॰ 2,77,88,000.00 (रूपये दो करोड़ सतहत्तर लाख अठासी हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. इस कार्य के प्राक्कलन में प्राक्कलन में, रोड के पुनर्स्थापन के लिये सब बेस, वाटर मिक्स मैकडम 250 mm मोटा, प्राइम कोट, टैक कोट, विटूमनस कंक्रीट तथा सीमेंट कंक्रीट पेभमेंट का प्रावधान किया गया है। स्पीलवे भाग में 100mm मोटा पी०सी०सी० (1:2:4) का भी प्रावधान किया गया है। वर्षात में सड़क पर जमा होने वाले पानी की निकासी हेतु PCC नाली का प्रावधान किया गया है, जिसे डैम के Slope drain से जोड़कर पानी की निकासी की जायेगी।

4. प्रस्तावित कार्य को वर्ष 2018–19 में प्रारम्भ कर एक वर्ष की अवधि में जून, 2019 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

5. इस कार्य के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, तेनुघाट बाँध प्रमण्डल, तेनुघाट होंगे।

6. प्रस्तावित कार्य के लिये राशि की निकासी तेनुघाट उप कोषागार, तेनुघाट, बोकारो से की जायेगी।

7. इस कार्य पर होने वाला व्यय–

(i) मुख्य शीर्ष 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष – 80– सामान्य, लघु शीर्ष –800– अन्य व्यय, उपशीर्ष 46– सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन, विस्तृत शीर्ष– 05– निर्माण, 45– निर्माण कार्य, के अन्तर्गत प्रावधानित राशि के अधीन विकलनीय होगा।

8. जल संसाधन विभाग के लिये वर्ष 2018–19 के बजट में पुनर्स्थापन कार्यों के लिए–

(i) शीर्ष – 49S–4701–80–800–46–05–45 में रू० 1000.00 लाख का एकमुश्त प्रावधान है।

9. (i) कार्य कराने के पूर्व असंबद्ध प्रमण्डल द्वारा मापी एवं मरम्मति कार्य के मात्रा की जाँच करा ली जायेगी।

(ii) इस कार्य के कार्यान्वयन के पूर्व मरम्मति/पुनर्स्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायगा।

10. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

11. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

12. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

13. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जायगा।

14. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

15. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
ह०/–

(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–540/2017– .... /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना –सह– वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–540/2017– .... /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, तेनुघाट उप कोषागार, तेनुघाट, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–540/2017– 08/18-195 स्वी. /राँची, दिनांक 17.05.2018

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/मुख्य अभियंता (यांत्रिक), जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, तेनुघाट बाँध अंचल, तेनुघाट/कार्यपालक अभियंता, तेनुघाट बाँध प्रमण्डल, तेनुघाट/ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०–3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/05/2018
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)
17/05/18